

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/429

मुकदमा नम्बर 133/2025

दर्ज दिनांक— 05.08.2025

संजय चोटिया पुत्र श्री मांगीलाल चोटिया जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का टोडपुरा, तन चिराना, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत जाखल

वकील अनावेदक :— पैरा. राज.

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 18.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का टोडपुरा के जमीन खसरा नं. 1373 रकबा 0.39 है0, खसरा नं. 1374 रकबा 0.60 है0, खसरा नं. 1376 रकबा 2.01 है0, खसरा नं. 1377 रकबा 0.06 है0, खसरा नं. 1378 रकबा 0.34 है0, खसरा नं. 1379 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 1380 रकबा 2.80 है0, खसरा नं. 1487 रकबा 0.13 है0, खसरा नं. 1488 रकबा 0.22 है0, खसरा नं. 1492 रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 1496 रकबा 0.07 है0, खसरा नं. 1498 रकबा 1.30 है0, खसरा नं. 1499 रकबा 0.06 है0, खसरा नं. 1500 रकबा 1.00 है0, खसरा नं. 1810/1388 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 1846/1488 रकबा 0.08 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 9.32 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सज्जन कुमार के स्थान पर संजय चोटिया तथा प्रार्थी के पिता का नाम भूराराम के स्थान पर मांगीलाल चोटिया दुरुस्त किया जाकर दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. उपस्थित हो किसी प्रकार उजर एतराज जाहिर नहीं किया।


बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रस्तुत दस्तजावेजों की छाया प्रति के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का टोडपुरा के जमीन खसरा नं. 1373 रकबा 0.39

है0, खसरा नं. 1374 रकबा 0.60 है0, खसरा नं. 1376 रकबा 2.01 है0, खसरा नं. 1377 रकबा 0.06 है0, खसरा नं. 1378 रकबा 0.34 है0, खसरा नं. 1379 रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 1380 रकबा 2.80 है0, खसरा नं. 1487 रकबा 0.13 है0, खसरा नं. 1488 रकबा 0.22 है0, खसरा नं. 1492 रकबा 0.20 है0, खसरा नं. 1496 रकबा 0.07 है0, खसरा नं. 1498 रकबा 1.30 है0, खसरा नं. 1499 रकबा 0.06 है0, खसरा नं. 1500 रकबा 1.00 है0, खसरा नं. 1810/1388 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 1846/1488 रकबा 0.08 है0 कुल किता 16 कुल रकबा 9.32 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सज्जन कुमार के स्थान पर संजय चोटिया तथा प्रार्थी के पिता का नाम भूराराम के स्थान पर मांगीलाल चोटिया दुरुस्त किया जाकर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 18.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( सुशील कुमार सैनी )RAS  
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़  
जिला-झुझुनू